कल्लू विरुद्ध राकेश कुमार आदि

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – रिव्यू 534–दो/01 जिला – छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	प्रकरण का अवलोकन किया । यह पुनरावलोकन मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक निग. 952–दो/2000 में पारित आदेश दिनांक 28–2–01 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । 2– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया एवं प्रकरण का अध्ययन किया गया । निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :– 1– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी. 2– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती. 3– कोई अन्य पर्याप्त कारण आवेदकगण की ओर से पुनरावलोकन का जो आवेदन पेश किया है उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारो में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता इसलिए इस पुनरावलोकन आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह पुनरावलोकन प्रकरण निरस्त किया जाता है । उभयपक्ष सूचित हों एवं अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख वापिस हों । (एम.के.सिंह) सदस्य राजस्व मंडल, म0प्र0, ग्वालियर	

COURT FEE 10 Rs. भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

CF.Rs 10/-2

(8)

[illegible]

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2001

[illegible]

[illegible]

[illegible]

जिला [illegible]

....आवेदक

विरुद्ध

1. [illegible]

2. [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

3. [illegible]

....[illegible]

19-3-2001

19 MAR 2001